CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

2008-2022

15वर्ष हल प्रश्न-पत्र
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

लोक प्रशासन

प्रश्नोत्तर रूप में

सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित

15 वर्ष (2008-2022)

अध्यायवार मुख्य परीक्षा हल प्रश्न-पत्र

लोक प्रशासन

प्रश्नोत्तर रूप में

सिविल सेवा परीक्षा के लिए

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी

संपादकः एन. एन. ओझा
(सिविल सेवा परीक्षाओं के मार्गदर्शन में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव)
लेखन एवं प्रस्तुतिः क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

अनुक्रमणिका

विषयवार हल प्रश्न-पत्र 2008-2022

प्रथम प्रश्न–पत्र

1. **लोक प्रशासनः परिचय** 1–18
   - ◆ लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व, विल्सन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन, विषय का विकास तथा इसकी वर्तमान स्थिति, नया लोक प्रशासन, लोक विकल्प उपागम, उदारीकरण की चुनौतियां, निजीकरण, भूमंडलीकरण; अच्छा अभिशासन : अवधारणा तथा अनुप्रयोग, नया लोक प्रबंध।

2. **प्रशासनिक विचार** 19–65
   - ◆ वेबर का नौकरशाही मॉडल, उसकी आलोचना और वेबर पश्चात् का विकास, गतिशील प्रशासन (मेयो पार्कर फॉले), मानव संबंध स्कूल (एल्टोन मेयो तथा अन्य), कार्यपालिका के कार्य (सीआई बर्नाडे), साइमन निर्णयन सिद्धांत, भागीदारी प्रबंध (मैक ग्रेगर, आर. लिकर्ट, सी. आजीरिस)।

3. **प्रशासनिक व्यवहार** 66–76
   - ◆ निर्णयन प्रक्रिया एवं तकनीक, संचार, मनोबल, प्रेरणा, सिद्धांत-अंतर्वस्तु, प्रक्रिया एवं समकालीन; नेतृत्व सिद्धांत : पारंपरिक एवं आधुनिक।

4. **संगठन** 77–93
   - ◆ सिद्धांत-प्रणाली, प्रासंगिकता; संरचना एवं रूप : मंत्रालय तथा विभाग, निगम, कंपनियां, बोर्ड तथा आयोग-तदर्थ तथा परामर्शदाता निकाय मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संबंध। नियामक प्राधिकारी; लोक-निजी भागीदारी।

5. **जवाबदेही और नियंत्रण** 94–104
   - ◆ उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्पनाएं, प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण। नागरिक तथा प्रशासन; मीडिया की भूमिका, हित समूह, स्वैच्छिक संगठन, सिविल समाज, नागरिकों का अधिकार-पत्र (चार्टर)। सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षा।

6. **प्रशासनिक कानून** 105–110
   - ◆ अर्थ, विस्तार और महत्व, प्रशासनिक विधि पर Dicey, प्रत्यायोजित विधान-प्रशासनिक अधिकरण।

7. **तुलनात्मक लोक प्रशासन** 111–116
   - ◆ प्रशासनिक प्रणालियों पर प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक एवं समाज वैज्ञानिक कारक; विभिन्न देशों में प्रशासन एवं राजनीति; तुलनात्मक लोक प्रशासन की अद्यतन स्थिति; पारिस्थितिकी की एवं प्रशासन, रिग्सियन मॉडल एवं उनके आलोचक।

8. **विकास गतिशीलता** 117–130
   - ◆ विकास की संकल्पना, विकास प्रशासन की बदलती परिच्छदिका; विकास विरोधी अभिधारणा, नौकरशाही एवं विकास; शक्तिशाली राज्य बनाम बाजार विवाद; विकासशील देशों में प्रशासन पर उदारीकरण का प्रभाव; महिला एवं विकास, स्वयं सहायता समूह आंदोलन।

9. **कार्मिक प्रशासन** 131–145

◆ मानव संसाधन विकास का महत्व, भर्ती प्रशिक्षण, जीविका विकास, हैसियत वर्गीकरण, अनुशासन, निष्पादन मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन तथा सेवा शर्तें, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध, शिकायत निवारण क्रिया विधि, आचरण संहिता, प्रशासनिक आचार-नीति।

10. **सार्वजनिक नीति** 146–161

◆ नीति निर्माण के मॉडल एवं उनके आलोचक; संप्रत्ययीकरण की प्रक्रियाएं, आयोजन; कार्यान्वयन, मानीटरन, मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा एवं उनकी सीमाएं; राज्य सिद्धांत एवं लोकनीति सूत्रण।

11. **प्रशासनिक सुधार की तकनीक** 162–175

◆ संगठन एवं पद्धति, कार्य अध्ययन एवं कार्य प्रबंधन; ई-गवर्नेस एवं सूचना प्रौद्योगिकी; प्रबंधन सहायता उपकरण जैसे कि नेटवर्क विश्लेषण, MIS, PERT, CPM

12. **वित्तीय प्रशासन** 176–194

◆ वित्तीय तथा राजकोषीय नीतियां, लोक उधार ग्रहण तथा लोक ऋण। बजट प्रकार एवं रूप; बजट-प्रक्रिया, वित्तीय जवाबदेही, लेखा तथा लेखा परीक्षा।

द्वितीय प्रश्न–पत्र

1. **भारतीय प्रशासन का विकास** 195–202

◆ कौटिल्य का अर्थशास्त्र; मुगल प्रशासन; राजनीति एवं प्रशासन में ब्रिटिश शासन का रिक्थलोक सेवाओं का भारतीयकरण, राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन।

2. **सरकार के दार्शनिक और संवैधानिक ढांचे** 203–214

◆ प्रमुख विशेषताएं एवं मूल्य आधारिकाएं; संविधानवाद; राजनैतिक संस्कृति; नौकरशाही एवं लोकतंत्र; नौकरशाही एवं विकास।

3. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम** 215–222

◆ आधुनिक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रूप; स्वायत्तता, जवाबदेही एवं नियंत्रण की समस्याएं; उदारीकरण एवं निजीकरण का प्रभाव।

4. **केंद्र सरकार और प्रशासन** 223–245

◆ कार्यपालिका, संसद, विधायिका-संरचना, कार्य, कार्य प्रक्रियाएं; हाल की प्रवृत्तियां; अंतरशासकीय संबंध; कैबिनेट सचिवालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; केन्द्रीय सचिवालय; मंत्रालय एवं विभाग; बोर्ड, आयोग, संबंद्ध कार्यालय; क्षेत्र संगठन।

5. **योजनाएं और प्राथमिकताएं** 246–262

◆ योजना मशीनरी, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका, रचना एवं कार्य, संकेतात्मक आयोजना, संघ एवं राज्य स्तरों पर योजना निर्माण प्रक्रिया, संविधान संशोधन (1992) एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु विकेन्द्रीकरण आयोजन।

6. **राज्य सरकार और प्रशासन** 263–280

◆ संघ-राज्य प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय संबंध; वित्त आयोग भूमिका; राज्यपाल; मुख्यमंत्री; मंत्रिपरिषद; मुख्य सचिव; राज्य सचिवालय; निदेशालय।

7. **स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन** 281–285

◆ कलेक्टर की बदलती भूमिका, संघ-राज्य स्थानीय संबंध, विकास प्रबंध एवं विधि तथा अन्य प्रशासन के विध्यर्थ, जिला प्रशासन एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

8. **नागरिक सेवाएं** **286–307**

◆ सांविधानिक स्थिति; संरचना, भर्ती, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण; सुशासन की पहल; आचरण संहिता एवं अनुशासन; कर्मचारी संघ; राजनीतिक अधिकार; शिकायत निवारण क्रियाविधि; सिविल सेवा की तटस्थता; सिविल सेवा सक्रियातावाद।

9. **वित्तीय प्रबंधन** **308–325**

◆ राजनीतिक उपकरण के रूप में बजट; लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण; मौद्रिक एवं राजकोषीय क्षेत्र में वित्त मंत्रालय की भूमिका; तकनीक; लेखापरीक्षा; लेखा महानियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका।

10. **स्वतंत्रता के बाद से प्रशासनिक सुधार** **326–334**

◆ प्रमुख सरोकार; महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग; वित्तीय प्रबंध एवं मानव संसाधन विकास में हुए सुधार; कार्यान्वयन की समस्याएं।

11. **ग्रामीण विकास** **335–341**

◆ स्वतंत्रता के बाद से संस्थान एवं अभिकरण; ग्रामीण विकास कार्यक्रम; फोकस एवं कार्यनीतियां; विकेन्द्रीकरण पंचायती राज; 73वां संविधान संशोधन।

12. **शहरी स्थानीय सरकार** **342–353**

◆ नगरपालिका शासन : मुख्य विशेषताएं संरचना वित्त एवं समस्या क्षेत्र, 74वां संविधान संशोधन; विश्वव्यापी स्थानीय विवाद; नया स्थानिकतावाद; विकास गतिकी; नगर प्रबंध के विशेष संदर्भ में राजनीति एवं प्रशासन।

13. **कानून और व्यवस्था प्रशासन** **354–367**

◆ ब्रिटिश रिक्थ; राष्ट्रीय पुलिस आयोग; जांच अभिकरण; विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा उपप्लव एवं आतंकवाद का सामना करने में पैरामिलिटरी बलों समेत केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरणों की भूमिका; राजनीति एवं प्रशासन का अपराधीकरण; पुलिस लोक संबंध; पुलिस में सुधार।

14. **भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे** **368–382**

◆ लोक सेवा में मूल्य; नियामक आयोग; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग; बहुदलीय शासन प्रणाली में प्रशासन की समस्याएं; नागरिक प्रशासन अंतराफलक; भ्रष्टाचार एवं प्रशासन; विपदा प्रबंधन।

पुस्तक के संबंध में

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विगत 15 वर्षों (2008-2022) के प्रश्नों का अध्यायवार हल:

पुस्तक के मूल्य को पाठकों के पहुंच तक बनाये रखने तथा पृष्ठ संख्या को सीमित रखने हेतु पूर्व के दो वर्षों (2006-2007) के प्रश्नों को पुस्तक से हटाया जा रहा है। यह सामग्री chronicleindia.in पर पाठकों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगी।

प्रश्नों को हल करने की प्रकृति: पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर को मॉडल हल के रूप में दिया गया है। प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्तर सारगर्भित हो, तथा पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप हो। पुस्तक में प्रश्नों के इतर भी विशिष्ट जानकारी को उत्तर में समाहित किया गया है, ताकि अभ्यर्थी इसका उपयोग न सिर्फ हल प्रश्न पत्र के रूप में, बल्कि अध्ययन सामग्री के रूप में भी कर सकें।

पुस्तक का उपयोग कैसे करें?: इस पुस्तक का उपयोग अभ्यर्थी अपने उत्तर लेखन शैली में सुधार लाने तथा प्रश्नों की प्रवृति व प्रकृति को समझने के लिये कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न इसमें सबसे लाभदायक होते हैं। पुस्तक में दी गई सामग्री का इस्तेमाल बिंदुवार, निश्चित शब्द सीमा का पालन, उप-शीर्षक एवं आरेख आदि का प्रयोग अभ्यर्थी अपने उत्तर लेखन शैली के अभ्यास हेतु आधुनिक परिपेक्ष में कर सकते हैं। पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर उसके सम्बंधित वर्ष के अनुसार ही दिया गया है।

लोक प्रशासन - एक वैकल्पिक विषय के रूप में: लोक प्रशासन समसामयिक मुद्दों से जुड़ा एक रुचिकर विषय है, इसलिए इसमें वैश्विक स्तर के साथ-साथ हमारे आस-पास होने वाले घटनाक्रमों पर भी निरंतर नजर बनाए रखना और उससे सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। यही सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्रों की भी मांग है। इसके चयन से प्राम्भिक परीक्षा के साथ-साथ मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पत्र की तैयारी में मदद मिलती है। सामान्य अध्ययन के चौथे प्रश्न पत्र के मौलिक व आधारभूत संकल्पनाओं को लोक प्रशासन विषय के माध्यम से सहजता से सीखा जा सकता है। यह विषय निबंध के प्रश्न-पत्र और साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है।

यह पुस्तक छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के आलावा राज्य लोक सेवा आयोगों (उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एवं झारखण्ड) के बदले हुए पाठ्यक्रम में आयोजित होने वाले सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लोक प्रशासन के प्रश्न पत्र में उपयोगी साबित होगा।

संपादक

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
(प्रथम प्रश्न पत्र)

लोक प्रशासनः परिचय

प्र. लोक प्रबंध लोक प्रशासन से 'क्या' और 'क्यों' तथा व्यवसाय प्रबंध से 'कैसे' लेता है। विस्तार से समझाइए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तरः लोक प्रबंध सामान्य तौर पर शासकीय नीति के विभिन्न पहलुओं का विकास, उन पर अमल एवं उनका अध्ययन है। प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, इसका संबंध सामान्य नीतियों अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है।

- **लोक प्रबंध लोक प्रशासन से 'क्या' और 'क्यों' प्राप्त करता है?** लोक प्रशासन आम जनता के लिए लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता है। लोक प्रशासन जन केन्द्रीत नीतियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे सुशासन की स्थापना होती है।
- **लोक प्रबंध लोक प्रशासन से क्यों लेता है?** क्योंकि सामाजिक समझौता के सिद्धांत के तहत राज्य वैधानिक तथा नैतिक रूप से लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य है और राज्य जनता से सत्ता प्राप्त करता है। अतः लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी है।
- **वहीं लोक प्रबंध व्यवसाय प्रबंध से 'कैसे' लेता है?** अर्थात लोक प्रशासन को काम करने के लिए कौन से तकनीक की जरूरत है। इसका संबंध व्यवसाय प्रबंध से हैं। जैसेः कार्य विभाजन, मानव संसाधन निर्माण, अनुबंध प्रक्रिया, नव लोक प्रबंध, क्षमता निर्माण, निजिकरण, संगठनात्मक विकास आदि।

निष्कर्षः

अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि लोक प्रबंध लोक प्रशासन से क्या और क्यों तथा व्यवसाय प्रबंध से कैसे लेता है।

प्र. लोक सेवा परिदान में दक्षता को वांछित स्तर पर लाने के लिए लोक सेवा अभिप्रेरण उपागम का एक अभिप्रेरक के रूप में परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तरः लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक अभिप्रेरण उपागम है। अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक होती है जो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। यह एक ऐसा अंतः कारक है जो कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है।

- अभिप्रेरणा वह मनौवैज्ञानिक बल है जो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाती है। इसकी तुलना जनरेटर से की जाती है जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम होता है अर्थात मानव व्यवहार को निर्देशित करने वाला तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरणा करते हैं, जिससे लोक सेवा में वांछित अभिप्रेरणा लाया जा सकता है।
- लोक प्रशासन में अभिप्रेरणा पर व्यापक विचार रखने वाले हर्जवर्ग महोदय, अब्राहम मासलों मैक ग्रेटर आदि हैं। हर्जबर्ग महोदय का मानना है कि 'अभिप्रेरक धारकों' के अंतर्गत उपलब्धि, पहचान, कार्य चुनौतियां, उत्तरदायित्व, विकास एवं वृद्धि को सम्मिलित किया जाता है। इस क्रम में अभाव तथा वृद्धि दोनों क्रम की आवश्यकताएं शामिल है।

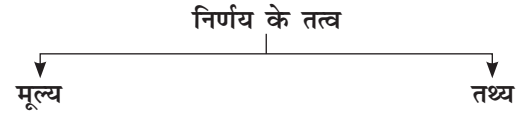

- डगलस मैकग्रेगर के अनुसार अधिकांश लोगों में क्षमता की कमी होती है और वे हमेशा परिवर्तन का विरोध करते हैं जबकि 'सिद्धांत वाई' के अनुसार रचनात्मक की क्षमता जनसंख्या में व्यापक रूप में फैली हुई है। ज्यादातर लोग स्वभाव से रचनात्मक होते हैं और वे किसी भी बदलाव को स्वीकार करते हैं। जो आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अति आवश्यक है।
- अभिप्रेरणा लोगों की उद्यमशिलता बढ़ाने में सबसे अधिक मददगार है। भारत के संदर्भ में भी यह सिद्धांत समीचीन प्रतीत होता है। क्योंकि संगठन में कार्यरत व्यक्ति की अभिप्रेरणा स्रोत निरंतर बदलता रहता है। अतः प्रबंधकों को उनकी बदलती हुई अभिप्रेरणा को ध्यान में रखकर अभिप्रेरित करना चाहिए।
- जिससे संगठन में वांछित समन्वय एवं उत्पादकता स्तर में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। एक अभिप्रेरित सिविल सेवक ही अंतःकरण से सर्वोदय की संकल्पना को साकार कर सकता है।

प्र. एक सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रशासनिक चिंतन की विभिन्न धाराओं का समाकलन संस्कृति के प्रभाव से बाधित होता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तरः ऐसे प्रशासनिक सिद्धांत जो सभी देश, क्षेत्र व काल में एक जैसे हो और सभी को स्वीकार्य हो ऐसे सिद्धांतों को सार्वभौमिक प्रशासनिक सिद्धांत कहा जा सकता है। ऐसे में इन सिद्धांतों को विज्ञान की तरह सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है।

प्रशासनिक विचार

प्र. बर्नार्ड उदासीनता के क्षेत्र को एक मानवीय दशा मानता है जो आधुनिक संगठनों में प्राधिकार संबंधों तथा सहयोग को चेतन करता है। परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: चेस्टर बर्नार्ड ने सहकारी प्रणालियों के रूप में संगठनों पर जोर दिया। उन्होंने औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की प्रकृति और उनकी पारस्परिक अंतर-निर्भरता को स्पष्ट रूप से समझाया।

- बर्नार्ड ने दूसरों द्वारा अधिकार की स्वीकृति पर जोर दिया। बर्नार्ड ने उदासीनता के क्षेत्र के अस्तित्व की भी व्याख्या की है। यदि आदेश इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। संगठन की जटिल प्रकृति और इसके कामकाज में यह अंतदृष्टि संगठनों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाती हैं।

बर्नार्ड ने प्राधिकार के तीन तत्व बताएं हैं-

1. उद्देश्य
2. योगदान की तत्परता या निरंतरता
3. संचार या सत्ता

- बर्नार्ड ने सत्ता को संचार के लिए आवश्यक माना। वस्तुत: बर्नार्ड ने संचार को ही सत्ता माना। उन्होंने फेयोल, वेबर की सत्ता संबंधी यह धारणा उलट दी कि सत्ता शीर्ष पर केन्द्रीत होती है और उच्चाधिकारी के पास होती है। इसके स्थान पर बर्नार्ड ने "सत्ता की स्वीकृति" विचारधारा का समर्थन किया।

सत्ता की स्वीकृति विचारधारा

- बर्नार्ड के अनुसार, उच्चाधिकारी की सत्ता का वैधानिक आधार अधीनस्थ की स्वीकार्यता में है। उच्चाधिकारी सत्ता के आधार पर जो भी निर्णय लेता है या आदेश देता है वे तभी प्रभावी होते हैं जब अधीनस्थ उन्हें स्वीकार कर ले। अर्थात वे ही निर्णय या आदेश सत्ता स्वीकार करते है जिन्हें अधीनस्थ स्वीकार करते हैं। उनकी स्वीकृति सत्ता को अनुपस्थित कर देती है।
- किसी आदेश को अधीनस्थ तभी मानेगा जब निम्न चार शर्ते एक साथ पूरी हो:

1. जब संचार बोधगम्य हो अर्थात वह संचार को समझ ले।
2. जब संचार संगठन के उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं हो।
3. जब संचार उसके वैयक्तिक हितों के पूर्ण अनुकूल हो
4. जब वह आदेश का अनुपालन करने में मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है।

उदासीनता का क्षेत्र कैसे निर्धारित हो?

- बर्नार्ड के अनुसार, उदासीनता के क्षेत्र का निर्धारण संतोष-योगदान के संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। स्पष्ट है कि इस क्षेत्र को विस्तृत करके ही अधिकारिक आदेशों को स्वीकार्य बनाया जा सकता है और इस क्षेत्र को बढ़ाना होगा। योगदान तभी बढ़ेगा जब संतोष बढ़ेगा। अत: प्रबंधकों को कार्मिक संतोष पर ध्यान देना चाहिए।

सहयोग

- बर्नार्ड के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भौतिक और सामाजिक सीमा होती है अत: वह अकेला उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता है। यह सीमा ही सहयोग को आवश्यक बना देती है। इस सहयोग को संचार ही सुनिश्चित करता है।

बर्नार्ड की प्राधिकार विचारधारा के प्रमुख तत्व

(a) संगठन में प्राधिकार का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है।

(b) सत्ता की उपस्थिति ही प्राधिकार नहीं है अपितु सत्ता का अनुपालन प्राधिकार है।

(c) सत्ता एक कार्यात्मक अवधारणा है अर्थात कार्य से संबंधित होती है पद से नहीं।

(d) सत्ता की स्वीकृत विचारधारा के अंतर्गत बर्नार्ड ने उदासीनता का क्षेत्र निर्धारित किया।

निष्कर्ष:

प्राधिकार (सत्ता) की स्वीकार्यता उदासीनता के क्षेत्र से निर्धारित होती है। अत: उच्चाधिकारियों की ऐसे आदेश दे देने चाहिए जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हों।

प्र. 'विवर्तन की प्रक्रिया जितनी अधिक बहिर्जात होती है, इसकी प्रिज्मीय अवस्था उतनी ही औपचारिक और विजातीय होती है; जितनी अधिक अन्तर्जात होती है, इसकी प्रिज्मीय अवस्था उतनी ही कम औपचारिक और कम विजातीय होती है।' रिग्ज की इस परिकल्पना का परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: प्रिज्मीय समाज का विश्लेषण करते हुए रिग्स महोदय ने यह स्पष्ट किया कि यह एक संक्रमणकालीन समाज है, जिसमें विस्तृत (अल्प विकसित या परम्परागत समाज) तथा विवर्तित (आधुनिक समाज) दोनों की विशेषताएं पायी जाती हैं।

प्रशासनिक व्यवहार

प्र. प्रशासनिक राज्य एक ऐसी शक्ति का निर्माण है जो हमें नियमों के साथ बांधती है जो कि विधायिका द्वारा नहीं बनाए गए हैं। प्रशासनिक राज्य की संवैधानिकता तथा इसके भविष्य का विवेचन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: प्रशासनिक राज्य में लोक प्रशासन प्रशासनिक मशीनरी का निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करता है। प्रशासन को वह नेतृत्व देता है। प्रश्न यह है कि ऐसी क्या अनिवार्यताएं है जो इसे प्रशासनिक राज्य हमें नियमों के संघ बांधती है और शक्तिशाली पुञ्ज बनने में भागीदार है।

उत्तरदायित्व की मांग: प्रशासन में भ्रष्टाचार, ढेरों अनियमितताएं व दोषों की संभावनाएं बनी रहती है। इन दोषों के प्रभाव एवं प्रसार को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक कार्यालय को इन सबका उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

जन कल्याण: जन कल्याण लोक प्रशासन की पहली शर्त है विशेषकर एक प्रजातंत्रीय राज्य में तो इस बात की महती आवश्यकता होती है कि शासन अपने आपको जनकल्याण से जोड़े रहे। जनता की भी यह अकांक्षा रहती है कि उसके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि उनके जन कल्याण में संलग्न रहें। जनता की विभिन्न मांगों में समन्वय भली प्रकार से तब ही किया जा सकता है जब कार्यपालिका शाखा में एकता रहे व उसे व्यापक अधिकार मिलें।

राष्ट्रीय सुरक्षा: अपनी आंतरिक एवं बाहरी संपुभुता को अक्षुण्ण बनाए रखकर राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार का प्रधान कर्तव्य होता है। प्रशासनिक एकता एवं दृढ़ता के बिना किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं बनाई जा सकती। प्रशासनिक शक्ति के केन्द्रीकरण द्वारा ही देश की सुरक्षा संभव है।

समन्वय हेतु: प्रशासकीय विभागों में एकता बनाए रखने के लिए मुख्य कार्यपालिका का होना आवश्यक हैं विशेषीकरण के वजह से विभागों में पारस्परिक मतभेदों का निबटारा जितनी कुशलता से मुख्य कार्यपालिका कर सकती है उतनी कुशलता से कोई अधिकारी नहीं कर सकता।

बचत एवं कार्यकुशलता: प्रशासकीय राज्य में केन्द्रीयकरण कर दिए जाने पर अपव्यय एवं द्रुव्यय रोकने में बहुत मदद मिलती है। इससे कार्यकुशलता भी बढ़ती है।

लोक प्रशासन प्रशासकीय राज्य का केन्द्र बिन्दु होता है। समस्त प्रशासन तंत्र उसके चारों ओर घूमता है। वही नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। प्रत्येक राष्ट्र का प्रशासकीय ढांचा पिरामिडाकार होता है।

- **मैक्स वेबर के अनुसार** प्रशासन तार्किक वैधानिक आधार पर कार्य करता है अत: यह शक्तिशाली होता है। वेबर महोदय के अनुसार प्रशासन सार्वभौमिक है तथा संगठन निजी हो या सरकारी जहां भी नौकरशाही के लक्षण पाए जाएंगे नौकरशाही स्वत: ही विद्यमान हो जाएगी।
- प्रशासनिक राज्य का साम्राज्य इतना बड़ा तथा व्यवस्थित होता है कि एक बार स्थापित हो जाने के बाद उसका विकल्प ढूंढना कठिन होता है। इसका कारण नौकरशाही की प्रभुता है जो इसमें निहित ज्ञान व निर्वैक्तिकता के कारण स्थापित होती है।
- **ज्ञान आधारित संगठन** होने के कारण जहां एक ओर यह अन्य संगठन से अधिक प्रभावशाली होता है वही इसकी निर्वैक्तिकता के कारण लोगों का इस पर अधिक विश्वास होता है।
- वर्तमान समय में प्रशासनिक राज्य में समस्या से निजात पाने के लिए तकनीक माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर और राइट टू इन फॉरमेशन के माध्यम से प्रशासन में हाल के दिनों में सक्रियता आयी है।

निष्कर्ष:

अत: प्रशासनिक राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो चाहे पूंजीवादी या समाजवादी देश हो सभी में पायी जाती है। इसके विकल्प अभी तक मौजूद नहीं है केवल सुधार लाया जा सकता है।

प्र. मानव संबंधवादी यह प्रतिपादित करते हैं कि 'कामगार के लिए क्या महत्वपूर्ण है और जो उनके उत्पादकता स्तर को प्रभावित करता है, हो सकता है सांगठिक चार्ट नहीं है बल्कि अन्य कामगारों के साथ उनका संबंध है।' क्या यह आज ज्यादा प्रासंगिक है?

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: वर्तमान में लोक प्रशासन के क्षेत्र में मानव संबंधवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके आधार पर पूंजी व श्रम प्रशासन और अधीनस्थ, मालिक और नौकर व्यक्ति और समाज आदि के मध्य उत्पन्न संघर्ष समाप्त किये जा सकते हैं।

- इसके माध्यम से मानव शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग राष्ट्र, समाज, परिवार और व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जा सकता है। यह विचारधारा संगठन व प्रशासन को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रेरणा देती है।
- **मानवीय संबंधों से तात्पर्य** नियोक्ताओं और कार्मिकों के उन संबंधों से है जो कानूनी मानकों द्वारा नियंत्रित नहीं होते।
- ये संबंध नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से संबंधित है। यह विचारधारा व्यक्तियों और उनकी प्रेरणाओं पर बल देती है।

संगठन

प्र. प्रत्येक मानवीय संगठन व्यवस्था-I से प्रारंभ होकर अन्ततः व्यवस्था-IV पर समाप्त होता है। लिकर्ट के कथन पर टिप्पणी कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तरः व्यवस्था-**I** से व्यवस्था-**IV** 1960 के दशक में रेंसिस लिकर्ट द्वारा विकसित प्रबंधन शैलियां हैं। उन्होंने औद्योगिक संगठन प्रबंधकों और अधीनस्थों के संबंधों, भागीदारी और भूमिकाओं का वर्णन करने के लिए प्रबंधन की चार शैलियों की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने एक अमेरिकी बीमा कंपनी के अत्यधिक उत्पादक पर्यवेक्षकों और उनकी टीम के सदस्यों के अध्ययन पर सिस्टम आधारित किया।

- आगे चलकर रेंसिस लिकर्ट ने शैक्षणिक संगठन पर लागू करने के लिए सिस्टम को संशोधित किया। उन्होंने शुरू में प्रधानाध्यापकों, छात्रों और शिक्षकों की भूमिकाओं को स्पष्ट करने का इरादा किया था। अंततः अधीक्षक, प्रशासक, और माता-पिता को शामिल किया गया।

लिकर्ट द्वारा स्थापित प्रबंध प्रणाली निम्नवत हैं-

- शोषक आधिकारिक (व्यवस्था-I)
- परोपकारी आधिकारिक (व्यवस्था-II)
- सलाहकार (व्यवस्था-III)
- सहभागी (व्यवस्था-IV)

- किसी भी संगठन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक कर्मचारियों को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से प्रेरित करते हैंए जो मौद्रिक पुरस्कार, लक्ष्य निर्धारण में भागीदारी और प्रबंधन में विश्वास पैदा करती है।
- प्रबंधन कर्मचारियों को उनकी व्यावसायिक भूमिका के बाहर शामिल होने और संगठन में सभी स्तरों के कर्मचारियों के साथ संबंध बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
- पहले के समय में लोगों को केवल मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करना प्राथमिक लक्ष्य था अतः इसकी पूर्ति व्यवस्था-I से हो जाता था, लेकिन वर्तमान में लोग बेसिक जरूरतों की पूर्ति के बाद स्व विश्लेषण/आध्यात्मिक विकास जैसे समग्र विकास पर बल दे रहे हैं। ऐसे में सभी मानवीय संगठन में व्यवस्था-I से व्यवस्था-IV अनिवार्य प्रतीत होता है।

प्र. शास्त्रीय संगठन सिद्धांत आधुनिक संगठन सिद्धांतों के लिए आधार सृजित करता है। विश्लेषण कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तरः शास्त्रीय संगठन सिद्धांत के अंतर्गत जिन नियमों और सिद्धांतों की खोज की गई वे हैं- पदसोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, समन्वय, पर्यवेक्षण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन आदि।

- **शास्त्रीय संगठन के सिद्धांत** आधुनिक संगठन के आधार स्तम्भ का कार्य करते है। औपचारिक संगठन का संचालन अनेक सिद्धांतों के आधार पर होता है। उनमें केन्द्रीकरण-विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन एवं पर्यवेक्षण का अपना महत्व है।
- संगठन में केन्द्रीकरण अथवा विकेन्द्रीकरण को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, उत्तरदायित्व, संगठन की अवस्था, संगठन के कार्य, उच्चाधिकारी की सोच, संगठन की विधियां व कार्यप्रणालियां तथा बाध्य वातावरण आदि।
- **आधुनिक संगठन** सिद्धांतों में भी संगठन को लचीला बनाने, नवीन प्रयोगों के अवसर, व्यापक हितों को सहभागिता देने की दृष्टि से विकेन्द्रीकरण एक लोकप्रिय व्यवस्था है।
- आधुनिक संगठन सिद्धांतों में भी कार्य मात्रा में अभिवृद्धि, मानवीय सीमाएं, कार्यात्मक प्रक्रियाओं की जटिलता एवं विशिष्टीकरण की आवश्यकता, नीति एवं नियोजन हेतु समय की बचत, शैक्षणिक महत्व एवं उत्तरदायित्व में भागीदारी, प्रबंधकीय विकास, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप लचीलापन, कार्यकुशलता एवं मितव्ययता आदि में सहायक होने की वजह से प्रत्यायोजन आवश्यक है।
- पर्यवेक्षण द्वारा आधुनिक संगठनों में भी कार्य योजना का निर्धारण, कार्य आबंटन, कार्य निष्पादन के मानकों का निष्पादन, व्यक्तिगत आचरण के नियम निर्धारण तथा उपकरणों के उचित रख-रखाव जैसे कार्य संपन्न होते हैं।

निष्कर्षः

अतः स्पष्ट है कि शास्त्रीय संगठन सिद्धांतों के केन्द्रीकरण-विकेन्द्रीकरण, प्रत्योजन तथा पर्यवेक्षण जैसे सिद्धांत आधुनिक संगठन के भी आधार का कार्य करते हैं।

प्र. व्यूहरचनात्मक सम्प्रेषण को एक चुस्त प्रबंध प्रक्रिया होना चाहिए। सरकारी कार्यवाहियों के लिए व्यूहरचनात्मक संप्रेषण की संकल्पना का विवेचन कीजिए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तरः व्यूहरचनात्मक सम्प्रेषण अर्थात सामरिक संचार एक ऐसी अवधारणा है जो किसी संगठन के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य को उन्नत योजना की अनुमति देता है।

- सामरिक संचार आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार या समर्पित वैश्विक नेटवर्क परिसंपत्तियों का उपयोग करके कार्यों का समन्वय करता है।

जवाबदेही और नियंत्रण

प्र. रूपान्तरणकारी नेतृत्व के लिए उच्च कोटि के समन्वय, सम्प्रेषण तथा सहयोग की आवश्यकता होती है। व्याख्या कीजिए। **(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)**

उत्तर: नेतृत्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति या किसी समूह का निर्देशन करना अर्थात किसी कार्य के सम्पूर्ण करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करना और सभी को मार्ग प्रसस्त करना है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं एवं अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर किसी को राह दिखाने का कार्य करता है।

- जिन व्यक्तियों में बेहतर समन्वय, सम्प्रेषण तथा सहयोग की क्षमता होती है वह अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग जो अपने विचारों से दूसरों के मनोबल में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की कला होती है। और ऐसी व्यक्तियों में समूह का निर्देशन करने की कला होती है।
- **विद्वान बेरन और बारने के अनुसार,** नेतृत्व वह क्रिया है जिसमें एक नेता लोगों पर अपना प्रभाव डालता हैं और वह उद्देश्य प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है।
- मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को ही समाज के नेता के रूप में घोषित किया जाता हैं। उसके अंदर वह क्षमता होती है कि वह हर परिस्थिति में समाज या समूह का मार्गदर्शन कर सकता है।

नेतृत्व की विशेषता

- नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व प्रभावशाली एवं आकर्षित होना चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में सामान्य स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
- संवेगात्मक भावों में उस व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जिससे उसे किसी भी परिस्थिति को संभालने में सहायता मिल सके।
- समाज के साथ समायोजन रखने वाला व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की योग्यता विद्यमान रहती है।
- नेतृत्व में समन्वय का गुण होना चाहिए।
- नेतृत्व में बेहतर संप्रेषण कौशल होना चाहिए।
- नेता सहयोगी स्वभाव का होना चाहिए।

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेहतर संप्रेषण शैली एवं समन्वय शैली तथा गरीब तबका के प्रति सहयोगी स्वभाव के कारण देश की जनता ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया है।

जो व्यक्ति समाज में बिना किसी पद पर आसीन हुए अपने व्यक्तित्व के आधार पर मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर जन्मजात नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान रहती है और ऐसे व्यक्ति सदैव दूसरों का मार्गदर्शन करने में अपनी रुचि रखते हैं।

निष्कर्षत:

यह कहा जा सकता है कि नेतृत्व एक कला एवं कौशल है जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के निर्देशन का कार्य करता है। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। यह अपने विचारों, संप्रेषण तथा समन्वय शैली से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमा रखते हैं। अत: रूपान्तरणकारी नेतृत्व में समन्वय, संप्रेषण और सहयोगी की महती भूमिका है।

प्र. सार्वजनिक निजी भागीदारी परिघटना एक प्रकार की शासन योजना अथवा क्रियाविधि में परिवर्तित हो गई है। भविष्य की चुनौतियों से पार पाने की इसकी क्षमता की विवेचना कीजिए। **(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)**

उत्तर: सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना का अर्थ किसी भी परियोजना के लिए सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ समझौता है। इस समझौते के तहत शुल्क लेकर सेवा प्रदान की जाती है। इसमें दोनों पक्ष मिलकर एक स्पेशल परपज व्हीकल गठित करते हैं जो परियोजना पर अमल का काम करता है।

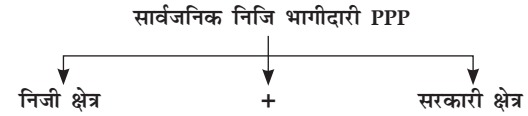

- वर्तमान में सार्वजनिक निजी भागीदारी परिघटना एक प्रकार की शासन योजना अथवा क्रियाविधि में परिवर्तित हो गई है क्योंकि जब से आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने गति पकड़ी तब से देश के ढांचागत क्षेत्र में बदलाव आना शुरू हुआ।
- इस क्षेत्र में विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी निवेश मॉडल काफी लोकप्रिय बनकर उभरा है। आज अवसंरचना के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे- सड़क, रेल, नवीकरणीय ऊर्जा ए बंदरगाह, हवाई अड्डा, पाइपलाइन और शहरी ढांचागत क्षेत्र में निवेश के लिए पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सार्वजनिक निजी मॉडल सक्षम है क्योंकि पीपीपी मॉडल अपनाने से परियोजनाएं सही लागत पर और समय से पूरी हो जाती है। पीपीपी मॉडल किये गए काम की गुणवत्ता सरकारी काम के मुकाबले अच्छी होती है। परियोजनाओं को पूर्ण करने में श्रम और पूंजी संसाधन की उत्पादकता बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
- हालांकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत में पीपीपी परियोजनाओं से जुड़ी कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी है जैसे दोषपूर्ण रिस्क शेयरिंग, अयोग्य बिजनेस मॉडल, वित्तीय अस्थिरता आदि।

प्रशासनिक कानून

प्र. *सभी न्यायाधिकरण न्यायालय होते हैं, किन्तु सभी न्यायालय न्यायाधिकरण नहीं होते। व्याख्या कीजिए।*

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: भारतीय संविधान की न्यायिक शाखा विवाद समाधान, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों को लागू करने और कानून को बनाए रखने जैसे कार्य करती है।

यह देश की सामान्य कानून व्यवस्था को नियंत्रित करता है। न्यायालय और न्यायाधिकरण के बीच पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि न्यायाधिकरण अदालतों के अधीनस्थ है।

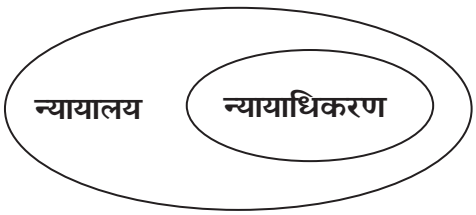

- **न्यायाधिकरण एक अर्ध-न्यायिक संस्था है** जो प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को हल करने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की जाती है। यह विवादों को स्थगित करने, एक प्रशासनिक निर्णय लेने, एक मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करने जैसे कई कार्य करता है।
- न्यायाधिकरण द्वारा किसी विशेष मामले पर दिए गए निर्णय को पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इसके विरुद्ध न्यायालय के निर्णय को निर्णय, डिक्री, दोषसिद्धि या दोषमुक्त के रूप में जाना जाता है।
- **न्यायाधिकरण का गठन** विशिष्ट मामलों को निपटने के लिए किया जाता है, अदालतें सभी प्रकार के मामलों से निपटती हैं।
- न्यायाधिकरण विवाद के लिए एक पक्ष हो सकता है, जबकि न्यायालय विवाद के लिए एक पार्टी नहीं हो सकती है। एक अदालत इस अर्थ में निष्पक्ष है कि वह प्रतिवादी और अभियोजक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।
- न्यायालय में केवल न्यायिक सदस्य ही भाग लेते हैं वहीं न्यायाधिकरण में न्यायिक के अलावा प्रशासनिक सदस्य भी भाग लेते हैं। न्यायाल का कार्य कठोर नियम-विनियम पर आधारित होता है। वहीं न्यायाधिकरण में नियमों पर कम समस्या समाधान पर ज्यादा बल होता है।

प्र. विनियमन सामाजिक प्रक्रियाओं में सामाजिक समन्वय और राजनीतिक हस्तक्षेप की एक पुरानी और निरंतर आवश्यक विधि है। वैश्वीकरण के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: विनियमन का तात्पर्य वैसे नियम का कानून से है जो प्रशासन व समाज को सुचारू रूप से संचालन में आवश्यक होते हैं। इसका निर्माण समय-समय पर सरकार द्वारा किया जाता है।

हाल ही में कोविड-19 महामारी ने विनियमन को एक वैश्विक नियमन के रूप में बदल दिया। 2020-21 में जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में अपना पांव पसारा तब सभी देशों ने नये विनियमन के साथ इसे निपटने के लिए नियम और कानून को पारित किया जो देखते ही देखते वैश्विक स्तर पर लागु किया गया।

1. कोविड यथोचित व्यावहार का पालन
2. भौतिक दूरी बनाना
3. बार-बार हाथ धोना
4. मास्क पहनाना
5. स्वास्थ्य का ख्याल रखना
6. अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करना

- Covid-19 जैसे महामारी के समय विनियम के माध्यम से सामाजिक प्रक्रियाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप द्वारा समुचित नियंत्रण पाया जा सका। सरकार ने इसे निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया। जगह-जगह पर कंटनमेंट जोन बनाए गए।
- कोविड-19 से पीड़ित नागरिकों को पृथक रखकर उनके मेडिकल व इलाज की व्यवस्था की गयी। महामारी प्रतिरोध अधिनियम 1897 में समयानुसार सरकार द्वारा बदलाव किया गया तकि महामारी की चुनौतियों से बेहतर तरीके से और कम संसाधनों के बावजूद निपटा जा सके।
- Covid-19 महामारी की व्यापकता को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को भी लागू किया गया और इस महामारी के दौर में सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई पर बल दिया गया।
- वही Covid-19 के मरीजों के लिए Track Trace तथा trcat पहल के द्वारा इस पर काबू पाया गया। गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र तक सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया गया।
- जब सिरम भारतीय संस्थान और भारतीय वॉयोटेक कंपनी द्वारा कोरोना का टीका तैयार किया गया तब सरकारी विनियमन के मुताबिक पहले फ्रंटलाइन वर्कर उसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को तत्पश्चात व्यस्क जनता को कोरोना का टीका दिया गया।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा
(द्वितीय प्रश्न पत्र)
भारतीय प्रशासन का विकास

प्र. ''मुगल प्रशासनिक व्यवस्था केन्द्रीयकृत निरंकुशतावादी थी।'' टिप्पणी कीजिये।(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022)

उत्तर: मुगल प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। मुगल बादशाह साम्राज्य का प्रमुख होने के साथ ही सेना का प्रधान, न्याय व्यवस्था का प्रमुख, इस्लाम का रक्षक और मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता होता था। अर्थात बादशाह में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक शक्तियां निहित थी, अत: मुगल शासन व्यवस्था शक्ति पृथ्क्करण के बजाए निरंकुशता पर आधारित थी।

- शासन में अपनी सहायता के लिए बादशाह विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता था। प्रत्येक मंत्री का अपना पृथक कार्यालय होता था। मुगल काल में निम्न विभाग व मंत्री कार्यरत थे।

केंद्रीय प्रशासन

वकील या प्रधानमंत्री: यह सम्राट को सलाह देने के साथ ही प्रशासन के सभी विभागों का निरीक्षण करता था। वकील को वजीर-ए-आला या वकील-ए-मुतलक के नाम से भी जाना जाता था। वकील को राजस्व व वितीय मामलों पर एकाधिकार था।

- मुगल काल में सैन्य विभाग के मुखिया को मीर बक्शी कहा जाता था।
- बाबर व हुमायूं के शासनकाल में शासन की प्रांतीय व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई थी। उस समय मानक प्रांतीय प्रशासन के विकास का श्रेय अकबर का जाता है।
- सन 1580 में सम्राट अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया। सूबों में प्रमुख अधिकारी सूबेदार, प्रांतीय दीवान, प्रांतीय वक्शी व कोतवाल थे।

प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था

- बादशाह अकबर ने प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी एवं सैन्य अधिकारी सभी को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया था।
- बड़े मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। जागीर से प्राप्त होने वाला राजस्व से संबंधित मनसबदार का वेतन होता था।

निष्कर्ष:

अत: मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केन्द्रीकृत व्यवस्था थी, जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी।

प्र. भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय प्रशासन के लिए आदर्शों तथा मूल्यें की रूपरेखा प्रदान करती है। विवेचना कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021)

उत्तर: प्रस्तावना भारतीय संविधान के उन उच्च आदर्शों का परिचय देती है, जिन्हें भारतीय जनता ने शासन के माध्यम से लागू करने का निर्णय लिया है। इन आदर्शों का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता बंधुत्व या राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता स्थापित करना है। प्रस्तावना भारतीय संघ की संप्रभुता तथा उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधारशीला है।

- भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है। इसमें नागरिकों के हितार्थ ऐसे सभी प्रावधान किये गये हैं जिनसे उनके हितों की रक्षा हो, उनकी स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित हो तथा उनको विकास और प्रगति का अवसर मिले।
- भारतीय संविधान की उद्देश्यिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। उद्देशियका संविधान का सार मानी जाती है। इसके लक्ष्य प्रकट करती है। संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह "हम भारत के लोग" से प्ररंभ होती है।
- संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है इसका निर्धारण भी उद्देश्यिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देश्यिका का प्रयोग संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने और उद्देश्य को जानने में की जा सकती है।
- सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखण्डता को जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को वैध ठहराया था।
- केशवानंद भारती मामले (1913) में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद-368 के तहत संशोधित किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा मामले में कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगतता व निष्पक्षता प्रदान करते हैं।